



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1942 (श10)
(सं० पटना 377) पटना, शुक्रवार, 26 जून 2020

उद्योग विभाग

अधिसूचना
23 जून 2020

सं० ह0क0सह0—(यो0/धुनिया)—05/2019—1809—बिहार में धुनिया आर्टिजनों के कल्याणार्थ राज्य स्तरीय धुनिया आर्टिजन विकास समिति का सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निबंधन किया जाना है। निबंधन हेतु गठित कार्यकारिणी समिति का स्वरूप निम्नवत् है :-

(i)	सचिव, उद्योग विभाग	—	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम	—	सदस्य सचिव
(iii)	प्रतिनिधि, वित्त विभाग	—	सदस्य
(iv)	सहायक निदेशक, कार्यालय विकास आयुक्त (हैंडीक्राफ्ट)	—	सदस्य
(v)	मो० लियाकत अली, पिता— अब्दुल लतीफ, पता— फुलवारी शरीफ हाई स्कूल के सामने, सेक्टर-3, पटना— 801505	—	सदस्य
(vi)	शहनाज खातुन, पति—जाकिर हुसैन, ग्राम+पो०—बरौव, थाना—अकोढ़ीगोला, जिला—रोहतास	—	सदस्य
(vii)	मो० शबीब मंसूरी, पिता—स्व० डा० अब्दुल रउफ, ग्राम—बासतपुर (बरईपट्टी), पो०+थाना—मीरगंज, जिला—गोपालगंज	—	सदस्य

2. क्रमांक (v) से (vii) का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों के लिए होगा।
3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 377-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>